बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

धाराओं का क्रम

ध०राएं

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

2. परिभाषाएं ।

3. अधिनियम का लागू होना ।

4. बंदी द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन ।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाना ।

6. संविदाकारी राज्य की टीका-टिप्पणी ।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाना ।

8. स्थानांतरण के लिए वारंट जारी करने का उपबंध ।

9. वारंट का प्रवर्तन और बंदी को पुन: पकड़ना ।

10. अभिलेख का अंतरण ।

11. न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की शक्ति का प्रभावित न होना ।

12. भारत में स्थानांतरण ।

13. कारागार का अवधारण और भारत में स्थानांतरण स्वीकार करने के लिए वारंट का जारी किया जाना ।

14. नियम बनाने की शक्ति ।

15. नियम बनाने की शक्ति ।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति ।

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003

(2003 का अधिनियम संख्यांक 49)

[28 सितंबर, 2003]

कतिपय बंदियों का भारत से, भारत के बाहर किसी देश या स्थान को स्थानांतरण और भारत के बाहर किसी देश या स्थान से कतिपय बंदियों को भारत में रखने का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के चौवनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम बंदी संप्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 है ।

(2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियत करे ।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "संविदाकारी राज्य" से भारत से बाहर ऐसे किसी देश या स्थान की सरकार अभिप्रेत है, जिसके संबंध में केंद्रीय सरकार द्वारा ऐसे देश या स्थान की सरकार के साथ किसी संधि द्वारा या अन्यथा भारत से ऐसे देश या स्थान को और ऐसे देश या स्थान से भारत को बंदियों के स्थानांतरण के लिए व्यवस्था की गई है तथा इसके अंतर्गत ऐसे किसी देश या स्थान की, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट किया गया हो, कोई अन्य सरकार भी है;

(ख) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ग) "बंदी" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी दांडिक न्यायालय द्वारा जिसके अंतर्गत संविदाकारी राज्य में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित न्यायालय भी है, पारित किसी आदेश के अधीन कारावास का दंड भुगत रहा है ;

(घ) "वारंट" से, यथास्थिति, धारा 7 की उपधारा (1) या धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जारी किया गया कोई वारंट अभिप्रेत है;

(ङ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) में परिभाषित हैं वही अर्थ होंगे जो उस संहिता में हैं ।

3. अधिनियम का लागू होना—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम के उपबंध भारत से बाहर किसी ऐसे देश या स्थान को लागू होंगे जिसे अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) यदि उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना, भारत के बाहर किसी ऐसे देश या स्थान के संबंध में है जिसके साथ भारत द्वारा उस देश और भारत के बीच बंदियों के स्थानांतरण के लिए कोई संधि की गई है तो ऐसी अधिसूचना में उक्त संधि का संपूर्ण पाठ भी दिया जाएगा और वह किसी भी दशा में उक्त संधि की अवधि से दीर्घतर अवधि के लिए प्रवृत्त नहीं रहेगी ।

(3) यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि भारत के बाहर के किसी देश या स्थान की बाबत इस अधिनियम के उपबंधों को, ऐसे देश के संबंध में संधि को प्रभावी करने के लिए उपांतरित किया जाना अपेक्षित है तो वह, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, निदेश दे सकेगी कि इस अधिनियम का उस देश को लागू होना, उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों, अपवादों और उपांतरणों के अधीन रहते हुए होगा ।

4. बंदी द्वारा स्थानांतरण के लिए आवेदन—कोई बंदी, जो किसी संविदाकारी राज्य का नागरिक है, भारत से उक्त संविदाकारी राज्य को उसकी अभिरक्षा के अंतरण के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यदि कोई बंदी अपने खराब स्वास्थ्य, मानसिक दशा, वृद्धावस्था अथवा अवयस्क होने के कारण स्वयं आवेदन करने में समर्थ नहीं है तो यह आवेदन उसकी ओर से कार्य करने के लिए हकदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा सकेगा ।

5. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाना—(1) केंद्रीय सरकार, धारा 4 के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर, उस बंदीगृह के भारसाधक अधिकारी को, जहां बंदी परिरुद्ध है, ऐसी जानकारी देने के लिए निदेश देगी जो उक्त सरकार की राय में स्थानांतरण के प्रयोजनार्थ सुसंगत है ।

(2) उपधारा (1) के अधीन जानकारी की प्राप्ति पर, यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि—

COURT BOOK
EMPOWERING LEGAL CLARITY

(क) बंदी के विरुद्ध जांच, विचारण या अन्य कोई कार्यवाही लंबित नहीं है;

(ख) बंदी को मृत्यु दंड नहीं दिया गया है;

(ग) बंदी को [1][सैनिक विधि] के अधीन किसी अपराध के लिए सिद्धदोष नहीं ठहराया गया है; और

(घ) संविदाकारी राज्य को बंदी की अभिरक्षा का स्थानांतरण, भारत की प्रभुता, सुरक्षा या किसी अन्य हित के प्रतिकूल नहीं है,

तब वह बंदी का आवेदन संविदाकारी राज्य को अग्रेषित करने का आदेश पारित करेगी ।

6. संविदाकारी राज्य की टीका-टिप्पणी—(1) बंदी का आवेदन, केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित साधनों के माध्यम से, संविदाकारी राज्य की सरकार को ऐसे आवेदन के निपटान के लिए अग्रेषित किया जाएगा और उसके साथ निम्नलिखित जानकारी होगी, अर्थात् :—

(क) निर्णय की प्रति और विधि के सुसंगत उपबंधों की प्रति जिनके अधीन बंदी के विरुद्ध दंडादेश पारित किया गया है;

(ख) बंदी के दंड की प्रकृति, अवधि और उसके प्रारंभ की तारीख;

(ग) बंदी की चिकित्सा रिपोर्ट या उसके पूर्ववृत्त और चरित्र से संबंधित कोई अन्य रिपोर्ट, जहां यह उसके आवेदन के निपटारे के लिए या उसके परिरोध की प्रकृति को विनिश्चित करने के लिए सुसंगत है; और

(घ) कोई अन्य जानकारी जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

(2) जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा अग्रेषित किसी बंदी का कोई आवेदन संविदाकारी राज्य द्वारा स्वीकार कर लिया गया है, वहां केन्द्रीय सरकार, बंदी को संविदाकारी राज्य को स्थानांतरित करने का विनिश्चय करने से पूर्व संविदाकारी राज्य से, निम्नलिखित सभी या कोई सूचना या दस्तावेज मांग सकेगी, अर्थात् :—

(क) ऐसा विवरण या दस्तावेज जो यह उपदर्शित करता हो कि बंदी संविदाकारी राज्य का नागरिक है;

(ख) संविदाकारी राज्य की सुसंगत विधि की एक प्रति, जिससे वह कार्य या लोप अपराध के रूप में गठित हो, जिसके कारण भारत में दंडादेश पारित किया गया हो मानो ऐसा कार्य या लोप उस राज्य की विधि के अधीन कोई अपराध हो;

(ग) संविदाकारी राज्य में बंदी के स्थानांतरण पर उसके दंडादेश की अवधि और प्रर्वतन से संबंधित तथ्य या किसी विधि या विनियम का विवरण;

(घ) बंदी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की संविदाकारी राज्य की रजामंदी और बंदी के दंडादेश के शेष भाग को प्रशासित करने का एक वचनबंध;

(ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों, यदि कोई हों, का अनुपालन करने का वचनबंध; और

(च) कोई अन्य सूचना या दस्तावेज जो केन्द्रीय सरकार आवश्यक समझे ।

7. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुरोध पर विचार किया जाना—(1) यदि केन्द्रीय सरकार का संबंधित संविदाकारी राज्य से,—

(क) बन्दी के स्थानांतरण को स्वीकार करने की उसकी रजामंदी व्यक्त करने वाली; और

(ख) वारंट में विनिर्दिष्ट शर्तों का पालन करने के लिए उसके वचनबंध की,

सूचना प्राप्त होने पर यह समाधान हो जाता है कि बन्दी को उस राज्य को स्थानांतरित किया जाना चाहिए तो केन्द्रीय सरकार तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 8 के उपबंधों के अनुसार ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए वारंट जारी कर सकेगी ।

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, कोई वारंट जारी किया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार संविदाकारी राज्य को तद्नुसार सूचित करेगी और उस राज्य से वह व्यक्ति जिसको और भारत के भीतर वह स्थान जहां बन्दी को अभिरक्षा परिदत्त की जाएगी, विनिर्दिष्ट करने का अनुरोध करेगी ।

8. स्थानांतरण के लिए वारंट जारी करने का उपबंध—(1) केन्द्रीय सरकार उस राज्य सरकार के, जिसकी अधिकारिता की परिसीमा के भीतर बन्दी के कारावास का स्थान अवस्थित है, किसी अधिकारी को जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार की ओर से वारंट जारी करने की लिए प्राधिकृत करेगी, जिसमें कारागार के भारसाधक अधिकारी को यह निदेश होगा कि वह बंदी की अभिरक्षा उस संविदाकारी राज्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को, जिसको बंदी स्थानान्तरित

[1] 2011 के अधिनियम सं० 6 की धारा 2 द्वारा प्रतिस्थापित ।

किया जाना है, ऐसे व्यक्ति को बंदी, से संबंधित सभी अभिलेख के साथ वारंट की एक प्रति और बन्दी से, कारागार में उसके प्रवेश के समय ली गई व्यक्तिगत चीजबस्त प्रस्तुत करते हुए परिदत्त कर दे ।

COURT BOOK

(2) उपधारा (1) में निर्दिष्ट वारंट प्रस्तुत किए जाने पर, कारागार का भारसाधक अधिकारी वारंट का तुरंत अनुपालन करेगा और उस पर उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिसको बंदी, अभिलेख और कारागार से हटाए जाने वाले बंदी से संबंधित व्यक्तिगत चीजबस्त का परिदान किया जाता है ।

(3) उपधारा (2) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को बंदी के परिदान के पश्चात्, बंदी का स्थानांतरण करने वाला कारागार का भारसाधक अधिकारी, उस न्यायालय को जिसने कारागार के बंदी को सुपुर्द किया है, इस कथन के साथ वारंट की एक प्राप्ति अग्रेषित करेगा कि बंदी उपधारा (1) के अधीन संविदाकारी राज्य द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त कर दिया गया है ।

(4) उपधारा (1) के अधीन जारी किए गए वारंट के अनुपालन में बंदी के परिदान से कारागार का भारसाधक अधिकारी, अपनी अभिरक्षा में बंदी को रखने की जिम्मेदारी से उन्मुक्त हो जाएगा ।

9. वारंट का प्रवर्तन और बंदी को पुन: पकड़ना—संविदाकारी राज्य द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए, जिसको धारा 8 की उपधारा (2) के उपबंधों के अधीन बंदी की अभिरक्षा परिदत्त की जाती है, ऐसे बंदी को प्राप्त करना और उसे अपनी अभिरक्षा में रखना तथा उसे भारत के बाहर ले जाना विधिपूर्ण होगा और यदि बंदी भारत के भीतर ऐसी अभिरक्षा से भाग निकलता है तो बंदी को किसी भी व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा जो असम्यक् विलंब के बिना ऐसे बंदी को निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सौंप देगा और इस प्रकार गिरफ्तार किया गया बंदी भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 224 के अधीन अपराध करने का दायी होगा और भारत में कारावास के ऐसे दंडादेश का भी दायी होगा जो उसको तब भोगना पड़ता जब ऐसे बंदी की अभिरक्षा का परिदान धारा 8 के अधीन नहीं किया गया होता ।

10. अभिलेख का अंतरण—जहां किसी बंदी को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन संविदाकारी राज्य को स्थानांतरित किया जाता है या किया जाना है, वहां केन्द्रीय सरकार किसी कार्यवाही, जिसके अंतर्गत उस बंदी ही से संबंधित न्यायिक कार्यवाही भी है, का अभिलेख किसी न्यायालय या कार्यालय से मंगा सकेगा और यह निदेश कर सकेगा कि ऐसे अभिलेख संविदाकारी राज्य की सरकार को भेजे जाएंगे ।

11. न्यायालय और केन्द्रीय सरकार की शक्ति का प्रभावित न होना—भारत से किसी बंदी का किसी संविदाकारी राज्य को अंतरण, ऐसे न्यायालय की, जिसने निर्णय पारित किया है, अपने निर्णय का पुनर्विलोकन करने की शक्ति को और केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार की, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार दंड के निलंबन, परिहार या लघुकरण की शक्ति को, प्रभावित नहीं करेगा ।

12. भारत में स्थानांतरण—(1) केन्द्रीय सरकार किसी संविदाकारी राज्य से, जिसमें कोई बंदी जो भारत का नागरिक है, कारावास का कोई दंड भुगत रहा है, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए जो भारत और उस राज्य के बीच तय पाई जाएं, ऐसे बंदी का स्थानांतरण स्वीकार कर सकेगी ।

(2) यदि केन्द्रीय सरकार उपधारा (1) के अधीन किसी स्थानांतरण के अनुरोध को स्वीकार करती है तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, वह धारा 13 के उपबंधों के अनुसार कारागार में बंदी को निरुद्ध रखने के लिए वारंट ऐसे प्ररूप में जो विहित किया जाए जारी कर सकेगी ।

13. कारागार का अवधारण और भारत में स्थानांतरण स्वीकार करने के लिए वारंट का जारी किया जाना—(1) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार से परामर्श करके, ऐसी राज्य सरकार की अधिकारिता के भीतर अवस्थित कारागार का जहां ऐसा बंदी जिसकी बाबत धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वारंट जारी किया गया है, रखा जाएगा और ऐसे अधिकारी का, जो उसे स्वीकार करेगा और अभिरक्षा में रखेगा, अवधारण करेगी ।

(2) केन्द्रीय सरकार, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वारंट जारी करने के लिए और उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी को ऐसा बंदी, जिसकी बाबत अभिरक्षा में रखने के लिए कोई वारंट जारी किया जाता है, स्वीकार करने और रखने का निदेश करने के लिए उस सरकार के किसी अधिकारी को जो संयुक्त सचिव से नीचे की पंक्ति का न हो, प्राधिकृत करेगी ।

(3) उपधारा (1) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी के लिए धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए वारंट में किए गए निदेश के अधीन उसे परिदत्त किसी बंदी को स्वीकार करना और अभिरक्षा में रखना तथा उक्त वारंट के अनुसार कार्यवाही किए जाने के लिए उपधारा (1) के अधीन अवधारित किसी कारागार में ऐसे बंदी को भेजना विधिपूर्ण होगा और यदि बंदी ऐसी अभिरक्षा से भाग निकलता है तो ऐसे बंदी को किसी व्यक्ति द्वारा वारंट के बिना गिरफ्तार किया जा सकेगा और वह व्यक्ति असम्यक् विलंब के बिना ऐसे बंदी को निकटतम पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी को सौंप देगा और इस प्रकार गिरफ्तार किया गया बंदी, भारतीय दंड संहिता (1860 का 45) की धारा 224 के अधीन अपराध करने का दायी होगा और उक्त वारंट के अनुसार कार्रवाई किए जाने के लिए भी दायी होगा ।

(4) धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन वारंट में निम्नलिखित के लिए उपबंध किया जाएगा—

(क) संविदाकारी राज्य या भारत से बाहर किसी स्थान से बंदी को भारत में लाना;

(ख) भारत के किसी भाग में जो ऐसा स्थान होगा जहां पर वारंट में अन्तर्विष्ट उपबंधों को लागू किया जा सकेगा, ऐसे बंदी को ले जाना;

(ग) धारा 12 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुसार बंदी के कारावास की प्रकृति और कालावधि तथा भारत में ऐसे बंदी का ऐसी रीति में कारावास जैसा वारंट में अन्तर्विष्ट हो; और

(घ) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए ।

(5) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के होते हुए भी, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन जारी किए गए किसी वारंट के अनुपालन में किसी बंदी का कारावास, भारत में कारावास का ऐसा दंडादेश पारित करने के लिए सक्षम किसी न्यायालय के दंडादेश के अधीन कारावास समझा जाएगा ।

(6) यदि संविदाकारी राज्य में बंदी के विरुद्ध पारित कारावास के दंडादेश की प्रकृति, कालावधि या दोनों भारतीय विधि से बेमेल है तो केन्द्रीय सरकार, उसे आदेश द्वारा, यथास्थिति, ऐसी प्रकृति, कालावधि या दोनों को ऐसे दंडादेश के अनुकूल बना सकेगी जो उसी प्रकार के अपराध के लिए यदि वह अपराध भारत में किया गया होता, उपबंधित कारावास के दंडादेश के अनुरूप है :

परन्तु इस प्रकार अनुकूलित दंडादेश यथासंभव, संविदाकारी राज्य के निर्णय द्वारा बंदी पर अधिरोपित दंडादेश के समरूप होगा और इस प्रकार अनुकूलित दंडादेश, संविदाकारी राज्य में अधिरोपित दंड को उसकी प्रकृति, कालावधि या दोनों के द्वारा, दंडादेश के संबंध में गुरुतर नहीं बनाएगा ।

14. नियम बनाने की शक्ति—(1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उबपंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी ।

(2) विशिष्टतया और पूर्वागामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के संबंध में उपबंध कर सकेंगे, अर्थात् :—

(क) वह साधन जिसके माध्यम से धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन आवेदन अग्रेषित किया जा सकेगा;

(ख) वह प्ररूप जिसमें धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन कोई वारंट जारी किया जा सकेगा;

(ग) वह प्ररूप जिसमें धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन कोई वारंट जारी किया जा सकेगा; और

(घ) कोई अन्य विषय जो धारा 13 की उपधारा (4) के खंड (घ) के अधीन विहित किया जा सकेगा ।

15. नियम बनाने की शक्ति—धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (3) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना और धारा 14 के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्र के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस अधिसूचना या नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि वह अधिसूचना या नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसी अधिसूचना या ऐसा नियम, यथास्थिति, तत्पश्चात् केवल ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, उस नियम या अधिसूचना के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से पहले उसके अधीन की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

16. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति—(1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, उस कठिनाई को दूर करने के लिए ऐसे उपबंध कर सकेगी जो उसे आवश्यक प्रतीत हों :

परन्तु ऐसा कोई आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा ।

COURT BOOK